Sem 3:GE & DSC / Sem 5: Hons CC-12

पत्र : भारत में सांवैधानिक सरकार

अध्याय : विधानसभा

प्रस्तुतकर्त्ता–
निशा कोंगारी
ए0बी0एम0 कॉलेज, जमशेदपुर

- राज्य विधानमंडल का **निम्न सदन**
- **चुनाव**– प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा

- **सदस्य संख्या**– अधिकतम संख्या –500

  न्यूनतम संख्या –60

राज्यपाल द्वारा 1 मनोनीत (आंग्ल भारतीय) सदस्य

- **योग्यता** – वह भारतीय हो,

  आयु 25 वर्ष से कम न हो,

  लाभ के पद पर न हो,

  पागल या दिवालिया न हो, और

  उसका नाम राज्य की मतदाता सूची में हो।

- **कार्यकाल** – 5 वर्ष। लेकिन संकटकाल में राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल द्वारा निलंबित या भंग किया जा सकता है। अथवा संसद के कानून द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया (1 वर्ष से अधिक नहीं) जा सकता है। लेकिन संकटकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक।
- **अधिवेशन** – एक वर्ष में 2 बार,

  दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर न हो।
- **विधानसभा के अधिकारी** – सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव।
- **वेतन–भत्ता** –संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा निर्धारित।

- **<u>सदस्यों का विशेषाधिकार</u>** –
- सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसके लिए उन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
- विधानसभा के अधिवेशन के 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति के 40 दिन बाद तक उनको किसी दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन फौजदारी केस में यह छूट प्राप्त नहीं है।
- मुफ्त यात्रा तथा मुफ्त टेलिफोन सुविधा।

- **सदस्यों पर प्रतिबंध** –
- कोई भी व्यक्ति एक साथ विधानसभा और विधानपरिषद् का सदस्य नहीं हो सकता,
- सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन तक बैठकों से गैरहाजिर नहीं रह सकता।

विधानसभा की शक्तियाँ एवं कार्य –

- वैधानिक शक्तियाँ
- वित्तीय शक्तियाँ
- कार्यपालिका शक्तियाँ
- चुनाव संबंधी शक्तियाँ
- संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ

वैधानिक शक्तियाँ –

- विधान सभा राज्य सूची और समवर्त्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है।

  लेकिन यदि समवर्त्ती सूची के विषयों पर राज्य विधान सभा और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में गतिरोध है तो संसद का कानून मान्य होगा।

वित्तीय शक्तियाँ –

- राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण
- वर्ष का वार्षिक बजट विधान सभा में पेश किया जाता है।
- नए टैक्स लगाना, पुराने टैक्स समाप्त करना सब विधान सभा द्वारा किया जाता है।
- धन विधेयक पर भी पूर्ण नियंत्रण, विधान परिषद् केवल इसे 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यपाल भी इस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता।

कार्यपालिका शक्तियाँ –

- मंत्रिपरिषद् (वास्तविक कार्यपालिका) अपने कार्यों व नीतियों के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- मंत्रिपरिषद् के सदस्य अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक उन्हें विधान सभा में बहुमत प्राप्त होता है।
- विधान सभा, मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उन्हें पद से हटा सकती है।
- विधान सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के द्वारा उनपर नियंत्रण रखते हैं।

चुनाव संबंधी शक्तियाँ –

- राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना,
- विधान परिषद् के 1/3 सदस्यों का चुनाव करना,
- राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में शामिल होना,
- विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना।

संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ –

- संविधान के कई महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन के लिए राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है। इन महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों में उस समय तक संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि कम–से–कम आधे राज्यों की विधान सभा उस पर अपनी सहमति न दे दे।

निष्कर्ष –

राज्य प्रशासन में विधान सभा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिन राज्यों में एक सदन है, वहाँ विधान सभा ही होती है। विधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। वे जनता की इच्छा के प्रतीक होते हैं।